

**BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 435 of 2023

IN THE MATTER OF:

JASBIR SINGH

.....APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Supplementary Reply in compliance of order dated 20.08.2024 on behalf of Respondent No. 4 Nagar Nigam Mathura-Vrindavan in the matter of <i>Jasbir Singh v. State of Uttar Pradesh & Ors. O.A. No. 435 of 2023.</i>	1-6
2.	ANNEXURE A: A true copy of office order by Respondent No. 4.	7
3.	ANNEXURE B: A true copy of the receipt dated 25.08.2023 of Rs. 12,055/-	8

Place: New Delhi

Date: 15.09.2024

**RESPONDENT NO. 4
NAGAR NIGAM MATHURA**


Through Advocate

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record, Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

**YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD
ADD: D&Y LAW CHAMBERS,
A-131 (LGF), SECTOR 46, NOIDA
EMAIL: yagyawalkya@dylawchambers.com
CONTACT: (+91)-7838848157**

BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 435 of 2023

IN THE MATTER OF:

JASBIR SINGH

.....APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT

**SUPPLEMENTARY REPLY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.08.2024 ON
BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 NAGAR NIGAM MATHURA IN THE MATTER
OF JASBIR SINGH V. STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. O.A. NO. 435 of 2023.**

MOST RESPECTFULLY SUBMITS:

1. That the present supplementary reply is being filed on behalf of Nagar Nigam Mathura (hereinafter referred to as 'the Respondent No.4') before the Hon'ble National Green Tribunal (hereinafter referred to as 'the Hon'ble Tribunal') in compliance of order dated 20.08.2024.
2. That the present matter was listed for hearing on 20.08.2024 where the Hon'ble Tribunal directed the Respondent no. 4 to file supplementary reply with respect to total sewage generation which is carried by said drain and whether STP is meeting the prescribed standards after treatment of sewage or not. The relevant part of the order is reproduced herein:

"3. Nagar Nigam has also filed its reply admitting that sewerage line of this colony is connected with the trunk line of Nagar Nigam to carry untreated sewage of the colony and it is said that sewage treatment line goes for 8 MLD, STP of Nagar Nigam but it is not disclosed as to what is the total sewage generation which is carried by said drain and whether STP is meeting the prescribed standards after treatment of sewage or not.

4. Learned Counsels appearing for respondent 4, Nagar Nigam, Mathura, Vrindavan and respondent 7, S.J.P. Global Limited project proponent, prays for and allowed three-week time to file supplementary reply placing all the relevant facts on record.”

3. That in compliance of order dated 19.03.2024, the Respondent No. 4 constituted a 5-member Joint Committee vide office order dated 03.09.2024. A true copy of office order by Respondent No.4 is marked and annexed herein as **ANNEXURE A**.

4. That as per the records available, the Joint Committee submits as follows:

- i. As per the records, 562 small residential plots are to be developed by the builder in Shri Radha Florence Colony. At present, about 300 houses have been built in the colony. Construction work is in progress for remaining plots.
- ii. The sewer line of Shri Radha Florence Colony is connected to the 400mm diameter sewer line of Nagar Nigam, and the payment for the same of Rs. 12,055/- is deposited in the fund of Nagar Nigam Mathura-Vrindavan vide receipt no.- 218763/2188, dated 25.08.2023. A true copy of the receipt dated 25.08.2023 of Rs. 12,055/- is marked and annexed herein as **ANNEXURE B**.
- iii. The branch sewer line of Shri Radha Florence Colony is connected to the with the main of sewer line through a trunk of 400mm diameter on the road outside the colony. The provision for disposal of the same is located at SPS in Rukmani Vihar. Five pumps are installed in the sump well at Rukmani Vihar SPS. The capacity of Rukmani Vihar SPS is 06 MLD. At Rukmani Vihar SPS, seepage is being disposed through pumps through a sewer line of 500 mm diameter and 08 MLD, at STP.

- iv. *The Capacity of trunk sewer line of 400mm diameter is 01 MLD. Even if all the buildings of the colony are constructed, the maximum sewer disposal of 562 residential buildings will be 0.3 MLD, which is less than the capacity of the existing trunk sewer line of 01 MLD. Thus, the trunk sewer line has the capacity to take the maximum sewer disposal of the colony.*
- v. The 08 MLD STP built is operating at its full capacity. In which the sewer of the referenced colony is also being treated. The outlet parameters of the treated sewage are checked daily by Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) in its laboratory and along with this, every week sampling is also being done by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Mathura. Further, the outlet parameters are being tested. Presently, the 08 MLD STP is operating at its full capacity and the outlet parameters of the treated sewage are also as per the standard.

A copy of the reply of the joint committee is attached herein.

5. That it is humbly prayed before this Hon'ble Tribunal to take on record the present supplementary reply filed on behalf of Respondent No. 4.


PRAYER

In view of present facts and circumstances, it is humbly prayed before this Hon'ble Tribunal that it may be pleased to:

1. Take on record the present supplementary reply on behalf of Respondent no. 4, Nagar Nigam Mathura-Vrindavan in the matter of *Jasbir Singh v. State of Uttar Pradesh & Ors. O.A. No. 435 of 2023*.
2. And/or pass any other order that it may deem fit and proper in the interest of justice.

Place: New Delhi
Date: 15.09.2024

**RESPONDENT NO. 4
NAGAR NIGAM MATHURA**


Through Advocate

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record, Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

**YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD
ADD: D&Y LAW CHAMBERS,
A-131 (LGF), SECTOR 46, NOIDA
EMAIL: yagyawalkya@dylawchambers.com
CONTACT: (+91)-7838848157**

कार्यालय : नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा
पत्र संख्या- /09/2024 दिनांक-

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल, मुख्य शाखा, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0-435/2023, जसबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये, नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा पॉच सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की गई है। (पत्रांक सं0-360/GEN/GM/MTR/2024-25 दिनांक 03.09.2024) संयुक्त समिति ने दिनांक 07.09.2024 को श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी, वृन्दावन का निरीक्षण किया। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.08.2024 के अनुपालनार्थ संयुक्त समिति की आख्या निम्नवत् है:-

1-अभिलेखानुसार श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी में 562 आवासीय लघु भूखण्डों का विकास, बिल्डर द्वारा किया जाना है। वर्तमान में कॉलोनी में लगभग 360 आवास निर्मित है। शेष पर निर्माण कार्य चल रहे हैं अथवा खाली पड़े हैं।

2-श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी की सीवर लाईन, नगर निगम की 400mm व्यास की सीवर लाईन से संयोजित है, जिसका भुगतान रसीद सं0-218763/2188, दिनांक 25.08.2023 द्वारा नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के कोष में रु0 12055/- जमा है। (छायाप्रति संलग्न)

3-श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी की ब्रांच सीवर लाईन, कॉलोनी के बाहर सडक पर 400mm व्यास की ट्रंक सीवर लाईन से संयोजित है। जिसका डिस्पोजल रुकमणि बिहार स्थित SPS पर है। रुकमणि बिहार SPS पर सम्पवेल में पॉच नग पम्प अधिष्ठापित है। रुकमणि बिहार SPS की क्षमता 06 MLD है। रुकमणि बिहार SPS पर पम्पों द्वारा, सीवर का डिस्पोजल, 500 mm व्यास की सीवर लाईन द्वारा 08 MLD, STP, मॉट रोड पर हो रहा है।

4-400mm व्यास की ट्रंक सीवर लाईन की क्षमता 01 MLD होती है। यदि कॉलोनी के सभी भवन निर्मित होंगे, तो भी 562 आवासीय भवनों का अधिकतम सीवर डिस्पोजल 0.3 MLD होगा, जो विद्यमान ट्रंक सीवर लाईन की क्षमता 01 MLD से कम है। इस प्रकार ट्रंक सीवर लाईन में कॉलोनी का अधिकतम सीवर डिस्पोजल लेने की क्षमता है।

5-मॉट रोड पर निर्मित 08 MLD, STP अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित अवस्था में है, जिसमें सन्दर्भित कॉलोनी के सीवर का भी ट्रीटमेन्ट होता है। शोधित सीवेज के आउटलेट पैरामीटर्स प्रतिदिन उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अपनी प्रयोगशाला में चेक किये जाते हैं और साथ ही प्रतिसप्ताह सैम्पुलिंग उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा भी की जा रही है और आउटलेट पैरामीटर्स का परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में 08 MLD, STP पूर्व क्षमता से संचालित है और शोधित सीवेज के आउटलेट पैरामीटर्स भी मानकानुसार है।

उपरोक्त नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.08.2024 का अनुपालन किया गया है। संयुक्त समिति की आख्या, आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सदस्य

श्री नन्द किशोर
सहायक अभियन्ता(जल)
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

सदस्य

श्री राम कैलाश
अधिसासी अभियन्ता(जल)
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

सदस्य

श्री रत्नेश कुमार श्रीवास्तव
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय),मथुरा

सदस्य सचिव

श्री अनवर ख्वाजा
महाप्रबन्धक(जल)
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

अध्यक्ष सचिव

श्री रामजी लाल
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

270



कार्यालय: नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक: 360/GEN/GM/MTR/2024-25

दिनांक: 03/09/2024

कार्यालय आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल मुख्य शाखा नई दिल्ली में ओ०ए० सं०-435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य विचाराधीन है। अधिवक्ता श्री याज्ञवाल्क्य सिंह ने अपने पत्र दिनांक 29.08.2024 द्वारा मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2024 का अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उक्त प्रकरण श्री राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी, वृन्दावन में सीवरेज/ रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व सॉलिड वेस्ट आदि से सम्बन्धित है। (अधिवक्ता के पत्र एवं मा० न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि पत्रावली में दाहिनी ओर संलग्न है।)

उपरोक्त पत्रानुसार प्रकरण में उपचारात्मक उपाय एवं उपायों के सम्बन्ध में एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट दाखिल करने के नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के अनुपालन में दिनांक 02.09.2024 को संयुक्त समिति गठित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

1. श्री रामजी लाल	अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2. श्री मौ० अनवर ख्वाजा	महाप्रबन्धक(जल)	सदस्य सचिव
3. श्री रत्नेश कुमार श्रीवास्तव	अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)	सदस्य
4. श्री रामकैलाश	अधिसासी अभियन्ता(जल)	सदस्य
5. श्री नन्दकिशोर	सहायक अभियन्ता(जल) नगर निगम मथुरा-वृन्दावन	सदस्य

अतः उपरोक्तानुसार उक्त समिति दिनांक 09.09.2024 तक उक्त बाद के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायें, जिससे कि दिनांक 18.09.2024 से पूर्व उपचारात्मक उपाय एवं संयुक्त समिति की आख्या तैयार कर अधिवक्ता श्री याज्ञवाल्क्य सिंह मा०नं०-7838848157 को उपलब्ध करायी जा सकें।

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

प्रतिलिपि:

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा को सूचनार्थ।
2. उक्त समिति को नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में अनुपालनार्थ।

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

5-9-24

Revised

03-9-2024

मथुरा

5-9-24

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

271

प्रपत्र सं० 2

पुस्तक सं०

2188

क्रम सं० 218763

श्री..... श्री राधा फ्लोरेन्स ट एल. जे. पी. ग्लोबल लिमिटेड 1111 श्री जगुमादाप्य.....
बिल सं० -

भाग रजि. की क्र.सं.	भवन का नाम व संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि			छूट यदि दी गई
				वकायत यदि कोई हो	वर्तमान कर	योग	
	प्लॉट शिवमणि विहार इ 8197	नवीन शीव संयोजन		वकायत पत्र रु. शिव संयोजन रु. गड्डा/स्वर्जा रु 2000 अतिरिक्त 60 रु	05 - 50 - 12000 -	05 - 50 - 12000 -	
वाक्य शब्दों में				बाव्ह हजार पंचवन के मात्र	12055 -	12055 -	

25-8-23

12055/12055

दिनांक.....

अधिकारी/राजस्व अधीक्षक

HR 8.23

नगर आयुक्त
जांच और समाहरण रजिस्ट्रार
प्रभारी लिपिकनोट:- 1. अनुज्ञप्ति (लाइसेन्सों) की दशा में रसाद अनुज्ञप्ति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और यह नगर निगम अनुज्ञप्ति अस्वीकार करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं
2. अवैधानिक निर्माण के गिराये जाने हेतु निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।